योजना और विकास

के

दस वर्ष

रा ज स्था न

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
राजस्थान, जयपुर

इतना ही नहीं, भूमि सुधार से विस्थापित जागीरदारों को कार्य पर लगाने के लिये राज्य सरकार ने योजनाएं क्रियान्वित की हैं। भाखड़ा योजना से सिंचित होने वाले क्षेत्र में इन लोगों को रियायती दरों पर खेती करने के लिये भूमि दी गई है। राजस्थान नहर के क्षेत्र में भी रियायती दरों पर भूमि दी जायेगी। विस्थापित जागीरदारों से जमीन की कीमत बिना ब्याज के और आसान किश्तों में वसूल की जायेगी। उन्हें खेती के औजार खरीदने, कुएं बनवाने और रहने के लिये मकान बनवाने के लिये आसान शर्तों पर तकावी देने का भी बन्दोबस्त किया गया है।

पहली योजना में राजस्थान के लिये राजकीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय के लिये १४.५० करोड़ रुपये की धन राशि निर्धारित की गई थी। दूसरी योजना में इन सबके लिये १११.५० करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर के लिये १५ करोड़ रुपये स्वीकार किये गए। पहली योजना में ५४.१४ करोड़ रुपये और दूसरी योजना में १२३.७३ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

सिंचाई की सुविधाएं, कई छोटे, मध्यम और बड़े सिंचाई के कार्य संचालित करके बढ़ा दी गई हैं। फलस्वरूप जहां पहले १९५१-५२ में १४.८८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी वहां सन् १९५५-५६ में ११.१५ लाख एकड़ में और सन् १९५८-५९ में ३५.७१ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी। खेती का रकबा भी इस अवधि में बढ़ा है। सन् १९५५-५६ में यह २८१.०१ लाख एकड़ था जो बढ़ कर सन् १९५८-५९ में ३११.०४ लाख एकड़ हो गया। भूमि सुधार, सिंचाई और खेती के उन्नत तरीके अपनाने के फलस्वरूप राजस्थान जो कुछ काल पहले तक "अभाव क्षेत्र" था, अब न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगा है। राजस्थान में खाद्यान्न के उत्पादन के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उत्पादन वर्षा की अनियमितता के कारण प्रतिवर्ष बहुत अधिक बढ़ता और घटता रहता है। सही तो यह होगा कि चार साल के उत्पादन के औसतों का अध्ययन किया जाय। सन् १९५२-५६ के काल में अन्न का औसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन था। १९५७-६१ काल का औसत ४५.५२ लाख टन आता है। राजस्थान में भाखड़ा, चम्बल और राजस्थान नहर से पानी मिलने पर आगामी वर्षों में पैदावार और

भी बढ़ेगी और तब राजस्थान न केवल देश की ही खाद्य समस्या को सुलझाने में ही योग दे सकेगा वरन् राज्य में चलने वाले उद्योग धंधों में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी पैदा कर सकेगा। राजस्थान नहर देश की शान होगी। यह दुनियां में अपने किस्म की सबसे लम्बी नहर होगी। हरीके से रामगढ़ तक मुख्य नहर की लम्बाई ४२५ मील होगी। इस नहर से कुल ८० लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा जिसमें से ६७ लाख एकड़ में खेती हो सकेगी।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में पशु-पालन का बड़ा महत्व है अतः पशुधन को विकसित करने की दिशा में विशेष कदम उठाये गये। पशु चिकित्सालयों की संख्या जो सन् १९५०-५१ में ५७ थी बढ़ कर १९६०-६१ में १०७ हो गई। इसी काल में औषधालयों की संख्या ८८ से १४८ हुई और चलित औषधालयों की संख्या २ से बढ़ कर ११ हो गई।

३१ मार्च सन् १९६१ को राजस्थान में १६० सामुदायिक विकास खण्ड थे और पंचायती राज्य व्यवस्था सारे राजस्थान में लागू थी। सामुदायिक विकास खण्ड संपूर्ण राज्य में अक्टूबर, १९६१ तक बन जायेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत उन्नति हुई है। अभी हाल की जनगणना के अनुसार यहां अब १४.६६ प्रतिशत जनता शिक्षित है जब कि सन् १९५१ में ८.९५ प्रतिशत ही थी। कुछ क्षेत्रों में विकास का स्तर, अखिल भारतीय औसतों के मुकाबले में कम हो सकता है, किन्तु यह सभी मानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति सराहनीय है। सन् १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष की उम्र के १४.८ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष की आयु के ५ प्रतिशत और १४ से १७ वर्ष की आयु के १.७ प्रतिशत विद्यार्थी स्कूलों में जाते थे, सन् १९६०-६१ में यह अनुपात क्रमशः ४५.७, १३.९ और ७.३ प्रतिशत हो गया। लड़कियों के लिये शिक्षा एम. ए. तक निःशुल्क है। जो विद्यार्थी बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा ली गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं और जिनके अभिभावकों की आमदनी २५० रु० माह से कम है उनको छात्रवृत्ति देने की योजना चालू कर दी गई है। योग्यता एवं आवश्यकता के आधार पर बहुत सारी और भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। योग्य विद्यार्थियों को देश की ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये एक छात्रवृत्ति कमीशन बनाने की योजना

राज्य सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहित करने की ओजस्वी नीति के कारण एवं बहुत सी जमीन, जल, विद्युत् आदि की सुविधाएं और बिक्री कर और चुंगी की रियायतें देने की योजना के कारण बहुत से उद्योगपतियों का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित हुआ है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिये सन् १९५७ से इण्डस्ट्रीज (डवलेपमेण्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ५१ नए कारखानों के लिये लाईसेंस दिये जा चुके हैं जिनमें से नीचे लिखे हुए कुछ उल्लेखनीय हैं:—

(१) फर्टीलाईजर फैक्ट्री, हनुमानगढ़ (Fertilizer factory, Hanumangarh)

(२) जिंक स्मेल्टर प्लाण्ट, उदयपुर (Zinc Smelter Plant, Udaipur)

(३) नाईलोन फैक्ट्री, कोटा (Nylon factory, Kota)

(४) केल्शियम कारबाइड, पी. वी. सी. और कास्टिक सोडा प्लाण्ट, कोटा (The Calcium Carbide, P V.C. and Caustic Soda Plant at Kota)

(५) रेयन टायर कार्ड प्लाण्ट, कोटा (The Rayon Tyre Cord Plant at Kota)

(६) सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ (The Cement Factory, Chittorgarh)

खाद के कारखाने से सन् १९६५ तक उत्पादन होने की सम्भावना है। जस्ते का कारखाना भी सन् १९६४ तक चालू हो जावेगा। नाईलोन की फैक्ट्री बन चुकी है जिसमें लगभग मार्च १९६२ तक पूरे तौर से कार्य प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त तीन नई मिलें किशनगढ़, भीलवाड़ा, एवं भवानीमण्डी में बन रही हैं। इसके अतिरिक्त एक टेक्सटाईल मिल के विजयनगर में खोलने के लिये भी हाल में ही भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

कुछ अन्य बड़ी मिलें जिनके लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं, आगामी दो या तीन वर्षों में चालू हो जावेंगी, जिनका ब्योरा निम्नलिखित हैः—

(१) दि साइन्टिफिक एण्ड सर्जिकल इन्स्ट्रूमेण्ट्स फैक्ट्री, अजमेर
(The Scientific and Surgical Instruments Factory at Ajmer)

(२) वूलन मिल्स, जयपुर एवं जोधपुर
(Woollen Mills at Jaipur and Jodhpur)

(३) ओक्सीजन एण्ड एसीटीलीन गैसेज मैनुफैक्चरिंग प्लान्ट, जयपुर
(Oxygen and Acetylene Gases Manufacturing Plant at Jaipur)

(४) वूल टोप्स एण्ड वूलन फेल्ट्स फैक्ट्री, कोटा
(Wool Tops and Woollen Felts Factory at Kota)

(५) एक्सट्रूजन प्रेस, कोटा
(Extrusion Press at Kota)

(६) चिप बोर्ड प्लाण्ट, बांसवाड़ा
(Chip Board Plant at Banswara)

(७) स्ट्रा बोर्ड प्लाण्ट, कोटा
(Straw Board Plant at Kota)

(८) फ्रेक्शनल एच. पी. मोटर्स मैनुफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, धोलपुर
Fractional H. P. Motors Manufacturing Industry at Dholpur)

(९) इलैक्ट्रिकल पोर्सिलिन इन्सुलेटर प्लान्ट, जयपुर और कोटा
(Electrical Porcelain Insulator Plant at Jaipur and Kota)

(१०) इलेक्ट्रिकल केबल फैक्ट्रीज, कोटा (Electrical Cable Factories at Kota)

(११) पेपर मिल, जयपुर (Paper Mill at Jaipur)

(१२) ग्लास वूल एवं ग्लास फाइबर फैक्ट्री, जयपुर (Glass Wool and Glass fibre factory at Jaipur)

(१३) रोलर फ्लोर मिल्स, जोधपुर, पाली और उदयपुर (Roller Flour mills at Jodhpur, Pali and Udaipur)

उदयपुर में एक कीड़े मारने की दवा बनाने का कारखाना चालू किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर; मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर और जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स आदि चालू कारखानों को नई वस्तुएं बनाने के लिये, उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये लाईसेंस दिये गये हैं। इन कारखानों में रोलर बियरिंग एक्सिल बॉक्सेज, साइकिलों के छर्रे, हाई टेन्शन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर्स और ए. सी. एस. आर. और एल्यूमिनियम के कन्डक्टर आदि नई वस्तुएं बनेंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार ने रूस की सहायता से एक प्रेसिशन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री (Precision Instruments factory) कोटा में खोलने का निश्चय किया है। एक तांबा पिघलाने का कारखाना भी सरकारी क्षेत्र में खेतड़ी में खोला जा रहा है। भारत सरकार डीडवाना में सोडियम-सल्फेट बनाने के लिये भी एक पायलेट प्लाण्ट (Pilot Plant) लगा रही है।

राज्य सरकार ने भी ५४ उद्योगपतियों को नए लाईसेंस देने और ३० उद्योगपतियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये लाईसेंस देने की सिफारिश कर दी है कुछ मुख्य मिलों के नाम, जिनके लिये सिफारिश की गई है, इस प्रकार हैं:

(१) पिग आईरन प्लाण्ट, उदयपुर (Pig Iron Plant at Udaipur)

(२) सीमेण्ट फैक्ट्री, नीमकाथाना (Cement factory at Neem-ka-thana)

(३) स्कूटर्स/मोपेड्स फैक्ट्री, जोधपुर (Scooters/Mopeds factory at Jodhpur)

(४) ओटो मोबाइल्स टायर्स एण्ड ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा (Automobiles Tyres and Tubes Factory at Kota)

(५) साइकिल टायर्स एण्ड ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा और जयपुर (Cycle Tyres and Tubes Factories at Kota and Jaipur)

(६) ब्लीचींग डाईंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग एण्ड प्रोसेसिंग प्लाण्ट फॉर कोटन टेक्सटाइल्स, कोटा (Bleaching, Dyeing, Finishing, Printing and Processing plant for cotton Textiles at Kota)

(७) फ्लेक्सिबल ट्यूब्स, प्रेसिशन रिवेट्स डाईकास्टिंग्स मेनुफेक्चरिंग फैक्ट्री, जयपुर (Flexible Tubes, Precision rivets Die castings, etc., Manufacturing factory at Jaipur)

(८) विभिन्न स्थानों पर दस कॉटन स्पिनिंग मिल्स। (Ten new Cotton Spinning Mills at different places)

(९) एच. टी. एण्ड एल. टी. प्रोसिलिन इन्सुलेटर्स फैक्ट्री, कोटा (H. T. & L.T. Porcelain Insulators factory at Kota)

(१०) जिप्सम वाल बोर्ड्स, जिप्सम वाल प्लास्टर्स मेनुफेक्चरिंग इण्डस्ट्री, बीकानेर (Gypsum Wall Boards, Gypsum Wall Plasters, etc., Manufacturing Industry at Bikaner)

(११) माइका कैपेसिटर्स एण्ड पेपर कैपेसिटर्स इण्डस्ट्री, जयपुर
(Mica Capacitors and Paper Capacitors Industry at Jaipur)

(१२) टैक्सी मीटर्स एण्ड स्पेयर पार्ट्स फ़ैक्ट्री, जयपुर
(Taxi Meters and Spare Parts Factory at Jaipur)

(१३) ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेण्ट्स इण्डस्ट्री, कोटा
(Transporting Equipments Industry at Kota)

(१४) पेपर एण्ड बोर्ड्स फ़ाट्री, भीलवाड़ा
(Paper and Boards Factory at Bhilw ra)

(१५) स्टील कास्टिंग्स इण्डस्ट्री, भरतपुर
(Steel Castings Industry at Bharatpur)

(१६) ग्रे सी. आई. कास्टिंग्स, सी. आई. एलोएज़ आदि, रामगंज मण्डी
(Grey C.I. Castings, C.I. Alloys etc. at Ramganj Mandi)

(१७) स्टिएटाइट पोर्सिलिन पार्ट्स, टैक्सटाइल सिरेमिक्स, पी. एण्ड टी. इन्सुलेटर्स आदि, कोटा
(Steatite Porcelain parts, Textile Ceramics, P. & T. Insulators etc. at Kota)

(१८) लेमिनेटेड प्लास्टिक्स एण्ड फ़ोर्मिका शीट्स इण्डस्ट्री, कोटा
(Laminated Plastics and Formica Sheets Industry at Kota)

(१९) रोडेन्टिसाईड मेनुफेक्चरिंग यूनिट, कोटा
(Rodenticide manufacturing unit at Kota)
और

(२०) हाउस सर्विस इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, जयपुर
(House Service Electricity Motors at Jaipur)

ऊपर लिखी हुई दस नई सूती मिलों के खोलने की और कुछ चालू टेक्सटाइल मिलों की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये स्वीकृति निकट भविष्य में ही होने की संभावना है

निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार उन उद्योगपतियों को जो कि नए कारखाने खोल कर राज्य की मदद करना चाहते हैं, सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी। राज्य सरकार उन्हें उचित दरों पर पर्याप्त बिजली देने की सुविधाएं, जमीन दिलाने की सहूलियतें, एवं बिक्री-कर और चुंगी-कर आदि में छूट देने का भरसक प्रयत्न करेगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र को इस विषय में अधिक से सहयोग देने का विश्वास दिलाती है।

खनिज उत्पादन जो १९५२ में ३०४ लाख रु० का हुआ, बढ़ कर १९५९ में ४६२ लाख रु० का हो गया। पलाना (बीकानेर जिला) में लिगनाइट, और मांडो की पाल (डूंगरपुर जिला) में फ्लोराइट का खनिज कार्य हाथ में ले लिया गया है। जावर खान पर एक जस्ता पिघलाने की मशीन लगा दी गई है और खेतड़ी में तांबा पिघलाने की मशीन लगाने की योजना है।

राजस्थान में प्रथम योजना के अन्त में कुल राज्य की आय ४०८ करोड़ रु० आंकी गई। १९६० के अन्त तक यह बढ़ कर, १९५४-५५ के भावों पर, ४६१ करोड़ रु० हो गई, अर्थात् प्रतिवर्ष औसत ३.३ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जब कि इसी काल में अखिल भारतीय औसत बढ़ोतरी ३.१ प्रतिशत थी। राज्य में प्रति व्यक्ति आय १९५५-५६ में २३७ रु० थी जो बढ़ कर १९५४-५५ के भावों

पर १९५९-६० में २४६ रु० हो गई। १९६०-६१ के भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आमदनी १९५९-६० के शब्द में ३१५ रु० आंकी गई है।

रोजगारी संबंधी अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि द्वितीय योजना काल में राजस्थान में ३.७७ लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

विभिन्न विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित कर्मचारी उचित संख्या में प्राप्त होते रहें। राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में जन शक्ति संबंधी अध्ययन किये हैं। अब इनके आधार पर कार्य किया जायगा ताकि योजना को क्रियान्वित करने में सही किस्म के कर्मचारी उचित संख्या में न मिलने के कारण कोई बाधा उपस्थित न हो। राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं के लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम से सम्बंधित बातों पर विच र करने के लिये एक कमेटी बंठाई थी। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। तकनीकी अधिकारियों को विदेशों में विशेष अध्ययन के लिये भेजने की एक विशिष्ट योजना है। इस सम्बन्ध में राज्य विभिन्न विदेशी सहायता योजनाओं द्वारा मिलने वाली सहायता का भी लाभ उठा रहा है।

इस प्रकार योजना के प्रथम दस वर्ष राजस्थान में राज्य की उन्नति और समृद्धि के मार्ग में निर्माणकारी युग रहा। योजना के आने वाले दस वर्षों में हमें आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये उच्चस्तरों पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए भार वहन करने होंगे। राजस्थान के तेजी से विकास करने के लिये यह स्थिति स्वाभाविक ही है और हमें इसका बहादुरी से सामना करना पड़ेगा। अब तक किये गये, व भविष्य में किये जाने वाले प्रयास चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में व उसके बाद आने वाले वर्षों में ही हमारे राज्य की जनता के रहन सहन के स्तर व समृद्धि में तेज गति से असर डाल सकेंगे। भाखड़ा, चम्बल, राजस्थान नहर व बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा प्राप्त सिंचाई के कारण राजस्थान में समृद्धिशाली कृषि के लिये बहुत उज्ज्वल भविष्य है। लघु सिंचाई के वृहद् कार्यक्रमों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। भाखड़ा नांगल व चम्बल की पहली और दूसरी स्टेज की समाप्ति पर राज्य में औद्योगिक और खनिज सम्बंधी विकास के लिये

तत्पश्चात् पूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। पशु पालन सम्बंधी योजनाओं द्वारा गांव के मानसिक विकास में संतुलन प्राप्त हो सकेगा। पंचायती राज्य की प्रगति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सामाजिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिये स्वयं अधिक से अधिक जिम्मेदारियां ग्रहण करनी चाहिये।

पक्की नींव डाल दी गई है और अब हम विश्वास और साहस से उज्ज्वल और समृद्धशाली भविष्य की आशा कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, भूमि सुधार से विस्थापित जागीरदारों को कार्य पर लगाने के लिये राज्य सरकार ने योजनाएं क्रियान्वित की हैं। भाखड़ा योजना से सिंचित होने वाले क्षेत्र में इन लोगों को रियायती दरों पर खेती करने के लिये भूमि दी गई है। राजस्थान नहर के क्षेत्र में भी रियायती दरों पर भूमि दी जायेगी। विस्थापित जागीरदारों से जमीन की कीमत बिना ब्याज के और आसान किश्तों में वसूल की जायेगी। इन्हें खेती के औजार खरीदने, कुएं बनवाने और रहने के लिये मकान बनवाने के लिये आसान शर्तों पर तकावी देने का भी बन्दोबस्त किया गया है।

पहली योजना में राजस्थान के लिये राजकीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय के लिये ६४.५० करोड़ रुपये की कुल राशि निर्धारित की गई थी। दूसरी योजना में इन सबके लिये १११.१० करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर के लिये १५ करोड़ रुपये स्वीकार किये गए। पहली योजना में ५४.१४ करोड़ रुपये और दूसरी योजना में १२३.७३ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

सिंचाई की सुविधाएं, कई छोटे, मध्यम और बड़े सिंचाई के कार्य संचालित करके बढ़ा दी गई हैं। फलस्वरूप जहां पहले १९५१-५२ में २४.८८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी वहां सन् १९५५-५६ में ११.३५ लाख एकड़ में और सन् १९५८-५९ में ३५.७१ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी। खेती का रकबा भी इस अवधि में बढ़ा है। सन् १९५५-५६ में वह २८१.०३ लाख एकड़ था जो बढ़ कर सन् १९५८-५९ में ३११.०४ लाख एकड़ हो गया। भूमि सुधार, सिंचाई और खेती के उन्नत तरीके अपनाने के फलस्वरूप राजस्थान जो कुछ काल पहले तक "अभाव क्षेत्र" था, अब न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगा है। राजस्थान में खाद्यान्न के उत्पादन के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उत्पादन वर्षा की अनियमितता के कारण प्रतिवर्ष बहुत अधिक बढ़ता और घटता रहता है। सही तो यह होगा कि चार साल के उत्पादन के औसतों का अध्ययन किया जाय। सन् १९५२-५६ के काल में अन्न का औसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन था। १९५७-६१ काल का औसत ४५.५२ लाख टन आता है। राजस्थान में भाखड़ा, चम्बल और राजस्थान नहर से पानी मिलने पर आगामी वर्षों में पैदावार और

भी बढ़ेगी और तब राजस्थान न केवल देश की ही खाद्य समस्या को सुलझाने में ही योग दे सकेगा वरन् राज्य में चलने वाले उद्योग धंधों में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी पैदा कर सकेगा। राजस्थान नहर देश की शान होगी। यह दुनियां में अपने किस्म की सबसे लम्बी नहर होगी। हरीके से रामगढ़ तक मुख्य नहर की लम्बाई ४२५ मील होगी। इस नहर से कुल ८० लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा जिसमें से ६७ लाख एकड़ में खेती हो सकेगी।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में पशु-पालन का बड़ा महत्व है अतः पशुधन को विकसित करने की दिशा में विशेष कदम उठाये गये। पशु चिकित्सालयों की संख्या जो सन् १९५०-५१ में ५७ थी बढ़ कर १९६०-६१ में १०७ हो गई। इसी काल में औषधालयों की संख्या ८८ से १४८ हुई और चलित औषधालयों की संख्या २ से बढ़ कर ११ हो गई।

३१ मार्च सन् १९६१ को राजस्थान में १६० सामुदायिक विकास खण्ड थे और पंचायती राज्य व्यवस्था सारे राजस्थान में लागू थी। सामुदायिक विकास खण्ड संपूर्ण राज्य में अक्टूबर, १९६३ तक बन जायेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत उन्नति हुई है। अभी हाल की जनगणना के अनुसार यहां अब १४.६६ प्रतिशत जनता शिक्षित है जब कि सन् १९५१ में ८.९५ प्रतिशत ही थी। कुछ क्षेत्रों में विकास का स्तर, अखिल भारतीय औसतों के मुकाबले में कम हो सकता है, किन्तु यह सभी मानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति सराहनीय है। सन् १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष की उम्र के १४.८ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष की आयु के ५ प्रतिशत और १४ से १७ वर्ष की आयु के १.७ प्रतिशत विद्यार्थी स्कूलों में जाते थे, सन् १९६०-६१ में यह अनुपात क्रमशः ४५.७, १३.९ और ७.३ प्रतिशत हो गया। लड़कियों के लिये शिक्षा एम. ए. तक निःशुल्क है। जो विद्यार्थी बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा ली गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं और जिनके अभिभावकों की आमदनी २५० रु० माह से कम है उनको छात्रवृत्ति देने की योजना लागू कर दी गई है। योग्यता एवं आवश्यकता के आधार पर बहुत सारी और भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। योग्य विद्यार्थियों को देश की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये एक छात्रवृत्ति कमीशन बनाने की योजना

भी सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सरकार ने देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में पढ़ने जाने वाले राजस्थानी विद्यार्थियों को और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों को जो राजस्थान में पढ़ने के लिये और राज्य सरकारें भेजें, छात्रवृत्ति देने की एक नई स्कीम भी निकाली हैं। यह आशा की जाती है कि अन्य राज्य भी इस प्रकार की योजनाएं लागू करेंगे। देश का भावनात्मक एकीकरण करने की दिशा में भी यह एक मुख्य कदम होगा। अध्यापकों और प्राध्यापकों की वेतन शृंखलाओं में भी सुधार किया गया है। तकनीकी शिक्षा में अति आवश्यकता समझ कर तत्परता के साथ उन्नति की गई है। राज्य में शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिये इन्जीनियरिंग कालेज, मेडीकल कालेज, पोलीटेकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षणकेन्द्र खोले गये।

सन् १९५९ में ही राजस्थान में, प्रति लाख व्यक्तियों पर प्राप्य चिकित्सा सुविधाएं, अखिल भारतीय स्तर पर १९६०-६१ में प्राप्त होने वाली सुविधाओं के समान अनुपातों से अधिक हो चुकी थीं, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होगा:—

	(प्रति लाख व्यक्ति)	
	भारत (१९६०-६१)	राजस्थान (१९५९)
१. चिकित्सालय एवं औषधालय (एलोपैथिक)	२.९	३४
२. रोगी शैय्या (एलोपैथिक) . . .	३६.०	४०.९

राज्यों के एकीकरण के समय सहकारी आन्दोलन कुछ ही स्थानों पर चालू था। यह आन्दोलन भारत सरकार की नीति के आधार पर धीरे-धीरे और जनता की स्वेच्छा से बढ़ाया गया। सहकारी संस्थाओं की संख्या सन् १९५१-५२ में ४९०८ थी। १९५५-५६ में यह ८०७७ हो गई और १९६०-६१ में १७९७४। सन् १९५१-५२ में ग्रामीण जनता का १.५ प्रतिशत सहकारिता से लाभान्वित होता था। १९५५-५६ में ५ प्रतिशत और १९६०-६१ में यह प्रतिशत बढ़ कर १४ हो गया।

पहिले जिलों के मुख्यालय भी पक्की सड़कों से सम्बद्ध नहीं थे। योजना के इन दस वर्षों में कई नई सड़कें बनीं और अब लगभग सभी तहसील मुख्यालय सड़कों से सम्बद्ध हो गए हैं। राज्य में सड़कों की लम्बाई सन् १९५०-५१ में ११,३७१ मील थी और यह बढ़ कर सन् १९५५-५६ में १५,९८८ मील तथा सन् १९६०-६१ में १६,७४४ मील हो गई।

सन् १९५१ में राजस्थान में केवल ३२ बिजलीघर थे, सन् १९६० में इनकी संख्या बढ़ कर ५४ हो गई। प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन सन् १९५१ में ३.२९ किलोवाट घंटे था जो बढ़ कर सन् १९६० में ५.४७ किलोवाट घंटे हो गया। योजना के आरंभ में बिजली की कुल स्थापित क्षमता ३४,९०० किलोवाट थी जो बढ़ कर द्वितीय योजना के अन्त में १,०८,९९२ किलोवाट हो गई और *तृतीय योजना काल के अन्त में बढ़ कर संभवतः ३,३४,४०० किलोवाट हो जायेगी।* अभी १३१ शहर व गांवों में बिजली पहुचाई जा चुकी है और निकट भविष्य में भाखड़ा और चम्बल योजनाओं द्वारा और भी स्थानों पर बिजली पहुचाई जायेगी।

राजस्थान में कच्चे माल और खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। फिर भी यहां अब तक बिजली, यातायात के साधन और कुशल कारीगरों की कमी के कारण उद्योग की प्रगति नहीं हो पाई थी। अब जल और बिजली की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। यातायात के साधन विकसित हो चुके हैं और आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जा चुका है। तकनीकी शिक्षा का भी बन्दोबस्त कर दिया गया है। उद्योगपतियों को राज्य की ओर से उदार रियायतें देने का भी निश्चय कर लिया गया है। हस्तकला और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फलतः राज्य में अब आगे तेजी से औद्योगिक प्रगति की सुदृढ़ नींव बन चुकी है। राजस्थान वित्तीय निगम, केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान लघु उद्योग निगम से ऋण की और हस्तकला विक्रय केन्द्रों से विक्रय की सुविधाएं प्रशस्त हुई हैं। पहले खनिज के क्षेत्र में, कतिपय पूंजीपतियों का लगभग एकाधिपत्य था, किन्तु मिनरल कन्सेशन रूल्स बनने के बाद से साधारण स्थिति के व्यक्तियों को भी खनिज व्यवसाय से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो सका है।

राज्य सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहित करने की ओजस्वी नीति के कारण एवं बहुत सी जमीन, जल, विद्युत् आदि की सुविधाएं और बिक्री कर और चुंगी की रियायतें देने की घोषणा के कारण बहुत से उद्योगपतियों का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित हुआ है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिये सन् १९५७ से इण्डस्ट्रीज (डवलेपमेण्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ५१ नए कारखानों के लिये लाईसेंस दिये जा चुके हैं जिनमें से नीचे लिखे हुए कुछ उल्लेखनीय हैः—

(१) फर्टीलाईजर फैक्ट्री, हनुमानगढ़ (Fertilizer factory, Hanumangarh)

(२) जिंक स्मेल्टर प्लान्ट, उदयपुर (Zinc Smelter Plant, Udaipur)

(३) नाईलोन फैक्ट्री, कोटा (Nylon factory, Kota)

(४) केलशियम कारबाइड, पी. वी. सी. और कास्टिक सोडा प्लान्ट, कोटा। (The Calcium Carbide, P.V.C. and Caustic Soda Plant at Kota)

(५) रेयन टायर कार्ड प्लान्ट, कोटा (The Rayon Tyre Cord Plant at Kota)

(६) सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ (The Cement Factory, Chittorgarh)

खाद के कारखाने से सन् १९६५ तक उत्पादन होने की सम्भावना है। जस्ते का कारखाना भी सन् १९६४ तक चालू हो जावेगा। नाईलोन की फैक्ट्री बन चुकी है जिसमें लगभग मार्च १९६२ तक पूरे तौर से कार्य प्रारंभ हो जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त तीन नई मिलें किशनगढ़, भीलवाड़ा, एवं भवानीमण्डी में बन रही हैं। इसके अतिरिक्त एक टेक्सटाईल मिल के विजयनगर में खोलने के लिये भी हाल में ही भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

कुछ अन्य बड़ी मिलें जिनके लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं, आगामी दो या तीन वर्षों में चालू की जावेंगी, जिनका ब्योरा निम्नलिखित है:—

(१) दि साइन्टिफिक एण्ड सर्जिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्ट्री, अजमेर
(The Scientific and Surgical Instruments Factory at Ajmer)

(२) वूलन मिल्स, जयपुर एवं जोधपुर
(Woollen Mills at Jaipur and Jodhpur)

(३) ऑक्सीजन एण्ड एसीटीलीन गैसेस मैनुफैक्चरिंग प्लान्ट, जयपुर
(Oxygen and Acetylene Gases Manufacturing Plant at Jaipur)

(४) वूल टोप्स एण्ड वूलन फेल्ट्स फैक्ट्री, कोटा
(Wool Tops and Woollen Felts Factory at Kota)

(५) एक्सट्रूजन प्रेस, कोटा
(Extrusion Press at Kota)

(६) चिप बोर्ड प्लाण्ट, बांसवाड़ा
(Chip Board Plant at Banswara)

(७) स्ट्रा बोर्ड प्लाण्ट, कोटा
(Straw Board Plant at Kota)

(८) फ्रेक्शनल एच. पी. मोटर्स मैनुफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, धोलपुर
Fractional H P. Motors Manufacturing Industry at Dholpur)

(९) इलेक्ट्रिकल पोर्सलिन इन्सुलेटर प्लाण्ट, जयपुर और कोटा
(Electrical Porcelain Insulator Plant at Jaipur and Kota)

(१०) इलेक्ट्रिकल केबल फैक्ट्रीज, कोटा (Electrical Cable Factories at Kota)

(११) पेपर मिल, जयपुर (Paper Mill at Jaipur)

(१२) ग्लास वूल एण्ड ग्लास फाइबर फैक्ट्री, जयपुर (Glass Wool and Glass fibre factory at Jaipur)

(१३) रोलर फ्लोर मिल्स, जोधपुर, पाली और उदयपुर (Roller Flour mills at Jodhpur, Pali and Udaipur)

उदयपुर में एक कीड़े मारने की दवा बनाने का कारखाना चालू किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर, मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर और जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स आदि चालू कारखानों को नई वस्तुएं बनाने के लिये, उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये लाईसेंस दिये गये हैं। इन कारखानों में रोलर बियरिंग एक्सिल बॉक्सेज, साइकिलों के छर्रे, हाई टेन्शन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर्स और ए. सी. एस. आर. और एल्यूमिनियम के कन्डक्टर आदि नई वस्तुएं बनेंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार ने रूस की सहायता से एक प्रेसिशन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री (Precision Instruments factory) कोटा में खोलने का निश्चय किया है। एक तांबा पिघलाने का कारखाना भी सरकारी क्षेत्र में खेतड़ी में खोला जा रहा है। भारत सरकार डीडवाना में सोडियम-सल्फेट बनाने के लिये भी एक पायलेट प्लान्ट (Pilot Plant) लगा रही है।

राज्य सरकार ने भी ५४ उद्योगपतियों को नए लाईसेंस देने और ३० उद्योगपतियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये लाईसेंस देने की सिफारिश कर दी है कुछ मुख्य मिलों के नाम, जिनके लिये सिफारिश की गई है, इस प्रकार है:

(१) पिग आईरन प्लान्ट, उदयपुर (Pig Iron Plant at Udaipur)

(२) सीमेण्ट फैक्ट्री, नीमकाथाना (Cement factory at Neem-ka-thana)

(३) स्कूटर्स/मोपेड्स फैक्ट्री, जोधपुर (Scooters/Mopeds factory at Jodhpur)

(४) ऑटो मोबाइल्स टायर्स एण्ड ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा (Automobiles Tyres and Tubes Factory at Kota)

(५) साइकिल टायर्स एण्ड ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा और जयपुर (Cycle Tyres and Tubes Factories at Kota and Jaipur)

(६) ब्लीचींग डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग एण्ड प्रोसेसिंग प्लाण्ट फौर कोटन टेक्सटाइल्स, कोटा (Bleaching, Dyeing, Finishing, Printing and Processing plant for cotton Textiles at Kota)

(७) फ्लेक्सिबल ट्यूब्स, प्रेसिशन रिवेट्स डाईकास्टिंग्स मैनुफेक्चरिंग फैक्ट्री, जयपुर (Flexible Tubes, Precision rivets Die castings, etc., Manufacturing factory at Jaipur)

(८) विभिन्न स्थानों पर दस कॉटन स्पिनिंग मिल्स । (Ten new Cotton Spinning Mills at different places)

(९) एच. टी. एण्ड एल. टी. प्रोसिलिन इन्सुलेटर्स फैक्ट्री, कोटा (H. T. & L.T. Porcelain Insulators factory at Kota)

(१०) जिप्सम वाल बोर्ड्स, जिप्सम वाल प्लास्टर्स मैनुफेक्चरिंग इण्डस्ट्री, बीकानेर
(Gypsum Wall Boards, Gypsum Wall Plasters, etc., Manufacturing Industry at Bikaner)

(११) माइका कैपेसिटर्स एण्ड पेपर कैपेसिटर्स इण्डस्ट्री, जयपुर
(Mica Capacitors and Paper Capacitors Industry at Jaipur)

(१२) टैक्सी मीटर्स एण्ड स्पेयर पार्ट्स फ़ैक्ट्री, जयपुर
(Taxi Meters and Spare Parts Factory at Jaipur)

(१३) ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेण्ट्स इण्डस्ट्री, कोटा
(Transporting Equipments Industry at Kota)

(१४) पेपर एण्ड बोर्ड्स फ़ैक्ट्री, भीलवाड़ा
(Paper and Boards Factory at Bhilw ra)

(१५) स्टील कास्टिंग्स इण्डस्ट्री, भरतपुर
(Steel Castings Industry at Bharatpur)

(१६) ग्रे सी. आई. कास्टिंग्स, सी. आई. एलोएज आदि, रामगंज मण्डी
(Grey C.I. Castings, C.I. Alloys etc. at Ramganj Mandi)

(१७) स्टिएटाइट पोर्सिलिन पार्ट्स, टैक्सटाइल सिरेमिक्स, पी. एण्ड टी. इन्सुलेटर्स आदि, कोटा
(Steatite Porcelain parts, Textile Ceramics, P. & T. Insulators etc. at Kota)

(१८) लेमिनेटेड प्लास्टिक्स एण्ड फ़ोर्मिका शीट्स इण्डस्ट्री, कोटा
(Laminated Plastics and Formica Sheets Industry at Kota)

(१९) रोडेन्टिसाईड मैनुफैक्चरिंग यूनिट, कोटा
(Rodenticide manufacturing unit at Kota)
और

(२०) हाउस सर्विस इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, जयपुर
(House Service Electricity Motors at Jaipur)

ऊपर लिखी हुई इस नई सूती मिलों के खोलने की और कुछ चालू टैक्सटाइल मिलों की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये स्वीकृति निकट भविष्य में ही होने की संभावना है

निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार उन उद्योगपतियों को जो कि नए कारखाने खोल कर राज्य की मदद करना चाहते हैं, सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी। राज्य सरकार उन्हें उचित दरों पर पर्याप्त बिजली देने की सुविधायें, जमीन दिलाने की सहूलियतें, एवं बिक्री-कर और चुंगी-कर आदि में छूट देने का भरसक प्रयत्न करेगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र को इस विषय में अधिक से सहयोग देने का विश्वास दिलाती है।

खनिज उत्पादन जो १९५२ में ३०४ लाख रु० का हुआ, बढ़ कर १९५९ में ४६२ लाख रु० का हो गया। पलाना (बीकानेर जिला) में लिगनाइट, और मांडो की पाल (डूंगरपुर जिला) में फ्लोराइड का खनिज कार्य हाथ में ले लिया गया है। उदयपुर पर एक जस्ता पिघलाने की मशीन लगा दी गई है और खेतड़ी में तांबा पिघलाने की मशीन लगाने की योजना है।

राजस्थान में प्रथम योजना के अन्त में कुल राज्य की आय ४०८ करोड़ रु० आंकी गई। १९६० के अन्त तक यह बढ़ कर, १९५४-५५ के भावों पर, ४६१ करोड़ रु० हो गई, अर्थात् प्रतिवर्ष औसत ३.३ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जब कि इसी काल में अखिल भारतीय औसत बढ़ोतरी ३.१ प्रतिशत थी। राज्य में प्रति व्यक्ति आय १९५५-५६ में २३७ रु० थी जो बढ़ कर १९५४-५५ के भावों

पंच वर्षीय योजनाएं
प्रावधान
व्यय
प्रथम योजना
प्रावधान
व्यय
द्वितीय योजना
प्रावधान
तृतीय योजना
सिंचाई
विद्युत

योजनाएँ

जबकि देश के अन्य राज्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के बनाने और क्रियान्वित करने में लगे हुए थे, राजस्थान स्थिर शासन व्यवस्था कायम करने, वैतिक -करण, कानून व शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य करने में लगा हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष तो इन्हीं समस्याओं के सुलझाने में चले गये, केवल योजना के तीसरे वर्ष में ही राज्य के आर्थिक विकास के लिये योजना-बद्ध कार्य प्रारम्भ किए गए। राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना आपात योजना (Emergency Plan) थी।

राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हमारे राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की मिली जुली तस्वीर सामने आई। द्वितीय योजना के दो मुख्य लक्ष्य थे—उत्पादन का बढ़ाना और रोजगारी देना। इसके अतिरिक्त, आर्थिक परिसीमा में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाना और ज़िलेवार योजनाएं बनाना इस योजना के विशेष लक्ष्य थे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में 'नीचे के स्तर से योजना' बनाने की दिशा में वास्तविक प्रारम्भ किया गया है। पंचायत समितियों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर मुख्यतया उ.पर जो कि उन योजनाओं से सम्बन्धित थे जो कि पंचायत समितियों को स्थानान्तरित कर दी गई हैं, विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और अन्त में उन्हें आर्थिक साधनों की परिमिति के अनुसार तीसरी योजना में शामिल कर लिया गया।

पहली पंचवर्षीय योजना में ६४.५० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें ३७.२१ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये थे। इस धन राशि में से ५४.१४ करोड़ रुपये व्यय किए गए जिसमें से ३२.७४ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर खर्च हुए। इस प्रकार, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल प्रावधान की गई राशि का ८३.९४ प्रतिशत व्यय हुआ।

दूसरी योजना में, पहली योजना में रखी गई धन राशि के दुगने से कुछ ही कम धन राशि का प्रावधान किया गया। समस्त राज्य योजनाओं के लिये १०५.२७ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये ७.३३ करोड़ रुपये की धन राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त १५ करोड़ रुपये राजस्थान नहर योजना के लिये दिए गए। इन धन राशियों में से राज्य ने १०२.७४ करोड़ रुपये अथवा ९७.६० प्रतिशत राज्य की योजनाओं पर और ८.७८ करोड़ रुपये अथवा ११९.७८ प्रतिशत केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर खर्च किए। १२.२१ करोड़ रुपये की धन राशि राजस्थान नहर पर खर्च की गई।

प्रथम व दूसरी योजनाओं की सफलताओं से प्रोत्साहित होकर तीसरी योजना में खर्च की जाने वाली धन राशि बढ़ा दी गई और कुल २३६.०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर खर्च की जाने वाली धन राशि शामिल नहीं है। इस प्रकार तीसरी योजना में खर्च की जाने वाली राशि दूसरी योजना की राशि से दुगनी से भी अधिक है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति तीसरी योजना में खर्च की जाने वाली राशि को देखने से पता चलता है कि जम्मू और काश्मीर को छोड़कर, राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना में खर्च की जाने वाली धन राशि सबसे अधिक है, जो कि १४७.५ रुपये है।

संलग्न तालिकाओं में राजस्थान सम्बन्धी सामान्य सांख्यिकीय सूचनाएँ एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति के निर्देशक दिए गए हैं।

तालिका में प्रयोग किए गये संकेतक

+ = योजना परिचालन में नहीं।

.. = आंकड़े प्राप्त नहीं है।

— = कुछ नहीं।

१.१ राजस्थान एक दृष्टि में

विषय	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. जनसंख्या §	(लाख)	१५९.७	१७५.६	२०१.५
२. क्षेत्र	(हजार वर्ग मील)	१३२	१३२	१३२
३. कुल राजकीय आय	(लाख रुपये)	१५०४.५४	२६४३.२३	४५५०.८१
४. कुल राजकीय व्यय	(लाख रुपये)	१४७९.५१	२५४५.६०	४६४४.३३
५. योजना व्यय†	(लाख रुपये)	—	५४१४.४३	१२३७२.९७
६. साक्षरता §	(प्रतिशत)	८.९५	..	१४.६६
७. विकास खंडों के अन्तर्गत जनसंख्या	(लाखों में)	६.७५	३४.७१	९६.८६
८. पंचायत समितियां	(संख्या)	—	—	२३२
९. ग्राम पंचायतें	(संख्या)	२४७५	३४९०	७३९४
१०. बोया गया वास्तविक क्षेत्र प्रति व्यक्ति	(एकड़)	१.४४	१.७७	२.१३

§ आंकड़े क्रमशः सन् १९५१ १९५६ और १९६१ के हैं।

† राजस्थान नहर और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएं भी शामिल हैं।

१ १ राजस्थान एक दृष्टि मे (क्रमशः)

विषय	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
११. सिंचित क्षेत्र वास्तविक बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत	(प्रतिशत)	१०.८१*	११.७८	११.४८**
१२. कुल सड़के प्रति १००० वर्गमील	(मीलों में)	८६	१०६	१२७
१३. पक्की सड़कें प्रति १००० वर्गमील	(मीलों में)	२७	४१	६३
१४. प्रति दसलाख व्यक्तियों पर चिकित्सालय एवं औषधालय	(संख्या)	४६	६०	९०
१५. प्रति व्यक्ति शिक्षा पर व्यय	(रुपये)	१.७३*	२.७१	६ ३६††
१६. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय	(रुपये)	०.९५*	१.९२	३.१६††
१७. प्रति व्यक्ति प्रशासन पर व्यय	(रुपये)	१.५०*	१.७०	२.१६††

आंकड़े १९५१-५२ के हैं।

** आंकड़े १९५८-५९ के हैं।

†† संशोधित अनुमान।

२.१ योजना में निर्धारित धन राशि

(लाख रु०)

विकास का विभाग	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१	२	३	४
(१) राज्य योजना	२७२८.७०	१०५२७.२६	२३६००.००
(क) कृषि एवं सामुदायिक विकास	३५२.१९	१७०२.५७	३६३०.००
(ख) सिंचाई	७२२.६८	२८१३.२८	८९४५.००
(ग) विद्युत्	३६७.१०	१९९९.५१	३५००.००
(घ) उद्योग एवं खनिज	३८.५०	५७७.२१	८९५.००
(ङ) यातायात	५७२.६५	९४१.५०	१३००.००
(च) समाज सेवाएं	६७५.५८	२३९१.९०	४५९०.००
(छ) विविध	—	१०१.२९	१६०.०८
(ज) प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण	—	६४.९०§	५८०.००
(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएं	३७२१.५६	७३३.१९‡	—
(३) राजस्थान नहर	—	१५००.००	£
कुल योग (१, २ और ३)	६४५०.२६	१२७६०.४५	२३६००.००

‡ १९५६-५७ के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

कुल योग में सम्मिलित नहीं हैं।

£ प्रावधान सिंचाई के अन्तर्गत हैं।

२.२ योजना में व्यय

(लाख रु०)

विकास का विभाग	प्रथम योजना	द्वितीय योजना
१	२	३
(१) राज्य योजना	२१४०.३८	१०२७४.१५
(क) कृषि एवं सामुदायिक विकास	२८३.८३	२२१३.२४
(ख) सिंचाई	५६३.९३	२५३०.१८
(ग) विद्युत्	१०४.६४	१५१४.९७
(घ) उद्योग एवं खनिज	३२.३३	३३८.१३
(ङ) यातायात	५१८.८१	१००७.६१
(च) समाज सेवाए	६३६.८४	२४३१.२१
(छ) विविध	—	११९.०३
(ज) प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण	—	११९.७८
(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएं	३२७४.०५	८७८.००
(३) राजस्थान नहर	—	१२२०.८२
कुल योग (१, २ और ३)	५४१४.४३	१२३७२.९७

३. कृषि एवं सामुदायिक विकास

३.१ भूमि उपयोग

(हजार एकड़)

विवरण	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९
१	२	३	४
१. पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल (भू-लेखानुसार)	८४७०९	८४४०६	८४३००
(क) वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	२३०१३ (२७.१७)	२८३०३ (३३.५४)	३११०४ (३६.९०)
(ख) पड़त भूमि	१४३९४ (१६.९९)	१४७२१ (१७.४४)	१४०९८ (१६.७२)
(ग) कृषि अयोग्य भूमि	२२१९१ (२६.२०)	१६१४३ (१९.१२)	१४९८४ (१७.७७)
(घ) अन्य जोत रहित भूमि	२२२४७ (२६.२६)	२१७५८ (२५.७८)	२१२८२ (२५.२५)
(ङ) वन	२८६४ (३.३८)	३४८१ (४.१२)	२८३२ (३.३६)
२. दुफल क्षेत्रफल	१०९२	२७०३	२८१८
३. कुल बोया हुआ क्षेत्रफल	२४१०५	३१००६	३३९२२

कोष्ठकों में दिये गए अंक पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत हैं।

३. कृषि एव सामुदायिक विकास

३.२ मुख्य कृषि योजनाए

विवरण	इकाई	योजना काल	
		प्रथम	द्वितीय
१	२	३	४
१. नए कुए खोदे गए	सख्या	७०५०	४१७४९
२. कुएं गहरे किए गए	"	१७७९	२११७१
३. तालाबों की मरम्मत की गई	"	—	५५८
४ पम्प लगाए गए	"	३४८	८६१
५. रहट लगाए गए	"	१०००	१७३२
६. जोतने योग्य बनाई गई भूमि	हजार एकड	११	११२
७. भूमि सरक्षण	"	—	१८.८९
८. भूमि एकीकरण	लाख एकड	+	१७.५२

३.३ मुख्य कृषि योजनाएं (क्रमशः)

विवरण	इकाई	१९५१-५२	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. रासायनिक खाद वितरण	टन	३२४	३१३६	१२८००
२. बीज वितरण	लाख एकड़	--	१४.७०	४१.४०
३. कम्पोस्ट वितरण	लाख टन	०.१३	०.९२	१३.१४
४. हरी खाद वितरण	लाख एकड़	+	+	१.३०
५. फसलों का संरक्षण	हजार एकड़	४८*	२७९	२९.२५

* मूल्य लाख रुपयों में ।

३ कृषि एवं सामुदायिक विकास

३.४ मुख्य फसलें–क्षेत्रफल

(हजार एकड़)

फसलें	१९५५-५६	१९६०-६१‡
१	२	३
१. खाद्यान्न	२४६७५	२७१३७
(अ) अनाज	१७२८३	१९७६१
बाजरा	८९४८	११४१३
ज्वार	२८६३	२५३२
गेहूं	२४०३	२६१२
मक्का	१३३५	१५९१
जौ	१३७२	११६६
अन्य मोटा अनाज	१९३	१९७
चावल	१६९	२४२
(ब) दालें	७३९२	७३७६
चना	३२३५	३३९६
तुर	३०	६२
अन्य दालें	४१२७	३९१८
२. व्यापारिक फसलें		
तिलहन	१९८५	२०१५
गन्ना	६५	१०१

‡अन्तिम फ़ोरकास्ट पर आधारित ।

३.५ मुख्य फसलें—उत्पादन

(हजार टन)

फसलें	१९५५-५६	१९६०-६१+
१	२	३
१ खाद्यान्न	४१७५	४४६२
(अ) अनाज	३१२१	३२९३
बाजरा	७७७	७३२
ज्वार	२२०	२९२
गेहूं	९०७	९८६
मक्का	५२४	६३५
जौ	५८०	५४८
अन्य मोटा अनाज	२७	३९
चावल	८६	६४
(ब) दालें	१०५४	११६९
चना	७०७	.९०६
तूर	४	[illegible]
अन्य दालें	३४३	२५६
२. व्यापारिक फसलें		
तिलहन	२५२	१७०
गन्ना	४५३	९७१

+ अन्तिम फोरकास्ट पर आधारित ।

३.६ पशुपालन

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४
१. पशु धन (लाखों में)	२४६	३२४	..
२. चिकित्सालय	५७	५७	१०७
३ डिस्पेन्सरी	८८	१३८	१४८
४ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	+	१	११
५ ग्राम केन्द्र	+	६	७४
६ चल औषधालय	२	८	१३
७ सामूहिक रोग निवारण केन्द्र	+	७	७
८ गौशाला	+	१०	३०
९. गोसदन	+	२	४
१०. भेड व ऊन विकास केन्द्र	+	+	६३
११ ऊन श्रेणीकरण एवं बिक्री केन्द्र	+	४०	७०
१२ कुक्कुट विकास केन्द्र	+	३	१६*
१३ रिण्डरपेस्ट को रोकने के लिये इन्जेक्शन लगाए (लाखों में)	+	..	२८.५१

* पशुचिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर स्थित एक कुक्कुट विकास केन्द्र भी सम्मिलित है।

३.७ सहकारिता

विवरण	इकाई	१९५१-५२	१९५५-५६	१९६०-६१§
१	२	३	४	५
१. समितियां	संख्या	४९०८	८०७७	१७९७४
सहकारी कृषि समितियां	"	४३	९९	६६५
बिक्री समितियां	"	+	२	१०५
सेवा समितियां	"	+	+	३९४७
साख समितियां	"	२५६९	५१०१	७०१३
अन्य समितियां	"	२२९६	२८७५	६२४४
२. कुल सदस्य	"	१९८५६७	२७४७१८	८९३९३१
३. कार्यशील पूंजी	लाख रु०	३४५ ०५	६३५.७८	२६६७.११*
४. कुल हिस्सापूंजी	"	५१.९०	९८.४४	४७१.८५*
५. ऋण दिया गया	"	११४ ८१	३३६.९१	१७९४.५४*
६. ऋण वसूली	"	१८५ ७२	२५५.०६	११५२.११*
७. भुगतान तिथि पर बकाया ऋण	"	११.७२	५३ ०३	१८० ६४*
८. केन्द्रीय सहकारी बंक	संख्या	१२	१२	२८
९. प्रारंभिक भूमि बन्धक बंक	"	२२	२२	४५
१०. वेयर हाउस	"	।	।	३२
११. गैर सरकारी व्यक्ति प्रशिक्षित किये	"	।	⊢	७०४३३‡
१२. सहकारिता की परिधि में आये ग्राम	प्रतिशत	५	१६	५३
१३. सहकारिता की परिधि में ग्रामीण जन संख्या	"	१.५	५	२४

§ आंकडे ३१ मार्च १९६१ के हैं।
* आंकड़े १९५९-६० वर्ष के हैं।
‡ वर्ष १९६०-६१ के अन्त तक।

३ कृषि एवं सामुदायिक विकास

३.८ सामुदायिक विकास

विवरण	इकाई	१९५२-५३	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. खण्ड				
(अ) प्रथम स्टेज	संख्या	—	—	८४
(ब) द्वितीय स्टेज	,,	—	—	५४
(स) सामुदायिक विकास*	,,	८	१९	१
(द) राष्ट्रीय विस्तार सेवा*	,,	—	३१	—
(न) पूर्व विस्तार	,,	—	—	२१
२. विकास खण्डों के अन्तर्गत—				
(अ) (१) क्षेत्रफल	वर्गमील	४६६७	२५७०३	८६७७५
(२) राज्य के कुल क्षेत्र फल का प्रतिशत	प्रतिशत	३.५४	१९.४८	६५.७७
(ब) (१) ग्राम	संख्या	१७९८	८६५५	२३६९०
(२) राज्य के कुल ग्रामों का क्षेत्रफल	प्रतिशत	५.२२	२५ १४	६८.८२
(स) (१) ग्रामीण जनसंख्या	जन संख्या लाखों में	६.७५	३४.७१	९६.८६
(२) राज्य की कुल ग्रामीण जन संख्या का प्रतिशत	प्रतिशत	५ १९	२६.५१	७४.४२
३. जन सहयोग	लाख रु०	४.८५	१३१.३४	५४८.६४

*पुरानी स्कीम

४.१ वृहत् सिंचाई योजनाए

विवरण	इकाई	राजस्थान नहर	भाखड़ा नहर (राजस्थान भाग के लिये)	चम्बल नहर* (राजस्थान भाग के लिये)
१	२	३	४	५
१. नहर क्षेत्र				
(अ) कुल लाभान्वित क्षेत्रफल	लाख एकड़	८०	१२	१२
(ब) कृषि योग्य लाभान्वित क्षेत्रफल	,,	७०	९.२०	९.१२
(स) क्षेत्रफल जिसमें सिंचाई होगी	,,	३६.२९	५.७०	५.५०
(द) द्वितीय योजना के अन्त तक सिंचाई	,,	—	२ १७	०.३७
२. नहर				
(अ) मुख्य नहर की लम्बाई	मील	४२५	५१	८२
(ब) शाखाओं प्रशाखाओं की कुल लम्बाई	,,	५०००	८५०	१४००
(स) अधिकतम गहराई	फीट	..	१६	१०.५
(द) अधिकतम चौड़ाई	,,	..	६०	३११
३. वित्तीय लागत				
(अ) कुल लागत	लाख रु०	२१२८९.५४	२३८५.१६	१६४८.०८
(ब) द्वितीय योजना के अन्त तक व्यय	,,	१२२०.८२	६५८.५४	११११.७७
(स) तृतीय योजना में प्रस्तावित धन राशि	,,	६३००.००	६५.००	३८८.००

*राणाप्रताप सागर बांध को छोड़कर

४ सिंचाई

४.२ योजना के अन्तर्गत सिंचाई कार्य

(हजार एकड़)

विवरण	अनुमानित लागत लाख रु०	सिंचित क्षेत्र		
		समाप्ति पर	अवधि १९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. बहुउद्देशीय परियोजनाएं—				
(अ) भाखड़ा	२३८५.१६	५७० ००	१४७.००	२१७ २१
(आ) चम्बल	१९८८.०८	७००.००	—	३७.१८
२. बड़ी एवं अन्य मध्यम योजनाएं	२८२९.००	७३३.२८	५६.००	१०६.६८
३. लघु सिंचाई योजनाएं	२७६.३०	३३०.००	५६.००	१४५.९७
४. अभाव क्षेत्र योजनाए	४८०.९८	१८९.७२	—	५२.३६
योग	७९५९.५२	२५२३.००	२५९.००	५५९.४८

४.३ सिंचाई-फसलें एवं साधनवार

(हजार एकड़)

विवरण	सिंचित क्षेत्रफल		
	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९
१	२	३	४
१. कुल सिंचाई-फसलवार	२८९३	३९३७	४०६७
(अ) खाद्यान्न	२२५५	२९८४	३२०९
(ब) गन्ना	६२	६०	४६
(स) कपास	२४३	३०१	३५६
(द) अन्य	३३३	५९२	४५६
२. वास्तविक सिंचाई-साधनवार	२४८८	३३३५	३५७१
(अ) नहरें	५५४	७०२	८१८
(ब) तालाब	२०३	४४०	७७४
(स) कुएं	१६८९	२१५४	१९४४
(द) अन्य साधन	४२	३९	३५
३. एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल	४०५	६०२	४९६

५. विद्युत

५.१ विद्युत

विवरण	इकाई	१९५१	१९५५	१९६०
१	२	३	४	५
१. बिजलीघर				
(अ) डीजल	संख्या	२७	३०	४७
(ब) स्टीम	संख्या	५	५	७
२. लगे हुए कारखानों की क्षमता*	किलोवाट में	१[illegible]७१	३४९००	१०८९९२
३. कस्बों और गांवों में बिजली पहुंचाई गई*	संख्या	४२	६६	१३१
४. ट्रान्समीशन एवं सब-ट्रान्समीशन लाईनें †				
(अ) १३२ किलोवाट लाईनें	मील	—	—	२०२
(ब) ६६ ,,	,,	—	—	१४५
(स) ३३ ,,	,,	८५	८५	४८८
(द) ११ ,,	,,	१२०	१२०	२५२
(ई) ११ किलोवाट से ३३ किलोवाट में परिवर्तन	,,	—	—	८४
(फ) एल. टी. लाइन्स से ११ किलोवाट में परिवर्तन	,,	—	—	५०
५. उत्पादित बिजली	दस लाख किलोवाट घंटे	५७.६२	७०.०८	११०.१७
६. प्रति व्यक्ति उत्पादित बिजली	किलोवाट घंटे	३.९९	३.९९	५.४७
७. उपभोग की गई कुल बिजली	दस लाख किलोवाट घंटे	४१.२२	४९.८९	८९.८४

* केवल राजकीय विद्युत गृहों से सम्बन्धित।

† आकड़े क्रमशः १९५०-५१, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के हैं।

६. उद्योग एवं खनिज

६.१ औद्योगिक योजनाएं

विवरण	इकाई	१९५४-५६	१९५६-६०
१	२	३	४
१. सरकारी सहायता			
(अ) खादी एवं ग्राम उद्योगों को			
ऋण	लाख रु०	४८.४०	२८३.०८
सहायता	"	२.२०	८६.४४
(ब) गृह एवं लघु उद्योगों को			
ऋण	"	७८३	८२.१६
लाभान्वित व्यक्ति	संख्या	१६६	२११०
(स) बड़े उद्योगों को			
ऋण स्वीकृत किया	लाख रु०	+	८९.८२
ऋण दिया गया	"	+	५६.४५
२. हाथ करघा			
बिक्री घर	संख्या	+	४८*
रंगने गृह	"	+	१९*
निरीक्षण एवं स्टाम्पिंग गृह	"	+	१४*
शक्ति चालित करघे वितरण किए	"	+	३००*
३. औद्योगिक बस्तियां	"	+	१४§
४. औद्योगिक न्यूक्लियस	"	+	५*

*आंकड़े वर्ष १९६०-६१ के हैं।

§ ३ पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य प्रगति पर है।

६. उद्योग एवं खनिज

६.२ औद्योगिक उत्पादन

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९६०
१	२	३	४	५
१. पंजीकृत कारखाने	संख्या	२४०	३६५	८५६
२. मुख्य पंजीकृत कारखाने				
(क) कपड़ा	संख्या	१२	१३	१८
(ख) सीमेन्ट	"	२	२	२
(ग) शक्कर	"	३	३	६
(घ) कांच	"	१	१	१
३. उत्पादन				
(क) खादी*	लाख वर्ग गज	९.६९	२७.२१	३७.८५
(ख) कपड़ा	लाख पौंड	११६.३	१८७.८	१३९.४
(ग) सूत	"	३१८.५	३७७.१	३०८.४
(घ) सीमेन्ट	लाख टन	२.७	५.२	९.५
(ङ) शक्कर‡	हजार टन	८.२	१३.६	१२.८
(च) शीशा	टन	१७०	५३५	६७२

*आंकड़े क्रमशः १९५३-५४, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के हैं।

‡आंकड़े क्रमशः १९५१-५२, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के हैं।

६.३ खनिज उत्पादन

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९५९
१	२	३	४	५
१. समस्त खानों में रोज़गार	संख्या	१३३४९	५१२८६	१०१२४२
२. समस्त उत्पादित खनिजों का विक्रय मूल्य	लाख रु०	२०४.५७	३६४.६५	४६२.११
३. मुख्य खनिजों का उत्पादन				
कोयला (लिगनाइट)	हज़ार टन	४५.१३	२८.९४	२४.४३
कच्चा लोहा	"	..	५६.५५	८४.२९
मॅगनीज	"	१०.४६	२.१२	५.८३
सुरमा (कन्सेन्ट्रेट)	"	२.१४	३.०६	७.३३
जस्ता (कन्सेन्ट्रेट)	"	३ ८४	४ ८६	१०.६४
जिप्सम	"	३३४ ६८	६३७ ६९	७४१.६३
अभ्रक	"	२७ ५८	४९.५१	९०.८०
सोप स्टोन	"	१७.५३	३३.३८	५२.७९
चूने का पत्थर (सीमेन्ट बनाने के लिये)	"	४६७.६९	७९७.०६	१४१७.३०
चूने का पत्थर (चूना बनाने के लिये)	"	६०.८५	६१.०१	१७३.७०
डाईमेन्शनल स्टोन	"	४८७.८४	६१४.९५	२१६२.६९
इमारती पत्थर	"	१९०.००	५००.००	५५३.००

७. सड़क और यातायात

७.१ सड़क एवं यातायात

विवरण	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. सड़कें	मील	११३७१	१३९८८	१६७४४
(अ) नागपुर योजना वर्गीकरण				
राष्ट्रीय राज पथ	"	@	३७६	६२०
राजकीय राज पथ	"		२३६३	२३१०
मुख्य जिला सड़कें	"		२४८५	२९०६
अन्य जिला सड़कें	"		५१०८	६४४३
ग्राम्य सड़के	"		३६५६	४३८५
(ब) सतह वर्गीकरण				
सीमेन्ट की सड़कें	"	१४	२२	२४
डामर की सड़के	"	६२९	१९३६	४६१५
अन्य पक्की सड़के	"	२९५७	३५०१	३६२४
कच्ची सड़के	"	२०४१	२८००	३१९९
मौसमी सड़कें	"	५७३०	५७२९	५२८२
२. प्रति १००० वर्ग मील सड़कें	"	८६	१०६	१२७
३. प्रति १००० वर्ग मील पक्की सड़के	"	२७	४१	६३
४. प्रति लाख जन संख्या पर सड़कों का औसत	"	७१	८७	१०५
५. राज्य में कुल मोटर गाड़ियां‡	संख्या	९८०७	१७८३३	३२०७४

@ यह वर्गीकरण १९५४ में अपनाया गया था।

‡ आकड़े सन् १९५१, १९५५, १९६० से सम्बन्धित हैं।

८. समाज सेवाएं

८.१ शिक्षण संस्थाएं

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५९-६०
१	२	३	४
१. विश्व विद्यालय	१	१	१
२. उच्चतर माध्यमिक/तकनीकी शिक्षा बोर्ड	--	—	२
३. सामान्य शिक्षा हेतु कालेज	२७	५२	५६
४. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज	८	१३	२०
५. विशेष शिक्षा हेतु कालेज	५	१७	११
६. उच्च/उच्चतर माध्यमिक/बहुउद्देशीय विद्यालय	१७५	२७३	४५८
७. सीनियर बुनियादी स्कूल	--	१४	६२
८. मिडिल स्कूल	७१२	८९३	११९४
९. जूनियर बुनियादी स्कूल	+	६०५	१८०१
१०. प्रारम्भिक स्कूल	४३३६	७५८४	११२९९
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल	१६	१९	५१
१२. विशेष शिक्षा हेतु स्कूल	७२६	१३८०	१३३९
योग	६०२९	१०८५१	१८३०२

८. समाज सेवाएं

८.२ शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५९-६०
१	२	३	४
१. विश्व विद्यालय	२०	५९८	५५२
२. सामान्य शिक्षा हेतु कालेज	१४८४६	३११८१	३५३२७
३. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज	२१२३	४३४९	५०३३
४. विशेष शिक्षा हेतु कालेज			२२१३
५. उच्चतर माध्यमिक एवं बहु-उद्देशीय विद्यालय	५९६२६	१०३३४३	७४१५०
६. हाई स्कूल			९६४७६
७. सीनियर बुनियादी स्कूल	११४४५२	१७४००६	१५६१६
८. मिडिल स्कूल			२७२८६०
९. जूनियर बुनियादी स्कूल	२२८९१६	३९६२२१	१८५९४४
१०. प्रारम्भिक स्कूल			६३४३६७
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल	१२०१	१५९५	५८०३
१२. विशेष शिक्षा हेतु स्कूल	२५८५८	३४३८१	७१४२८
योग	४४७११६	७४५६७४	१३९९७३९

८.३ शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५९-६०
१	२	३	४
१. विश्व विद्यालय	७	१८	२९
२. सामान्य शिक्षा हेतु कालेज	५८४	१३७४	१८०१
३. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज	१४७	२३५	४८२
४. विशेष शिक्षा हेतु कालेज	८२	११७	२१९
५. उच्चतर माध्यमिक एवं बहुउद्देशीय विद्यालय ६. हाई स्कूल	२९५२	४४६१	८२४५
७. सीनियर बुनियादी स्कूल ८. मिडिल स्कूल	६२९०	८४७९	६०७ ११६६५
९. जुनियर बुनियादी स्कूल	+	१५७१	५१६३
१०. प्रारम्भिक स्कूल	७५०४	१३१७३	१९९१५
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल	९४	२००	५८४
१२. विशेष शिक्षा हेतु स्कूल	२८१	५४३	६१७
योग	१७९४१	३०१७१	४९३२३

८. समाज सेवाएं

८.४ चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९६०
१	२	३	४	५
१. संस्थायें				
चिकित्सालय-एलोपैथिक**	संस्था	२३४	२७५	३१२
आयुर्वेदिक	,,	१३	१३	१८
औषधालय-एलोपैथिक **	,,	१५८	२४७	३१०
आयुर्वेदिक	,,	३३७	४८२	११४७
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र	,,	.	..	१४३‡
मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र	,,	३६	५१	६११‡
परिवार नियोजन केन्द्र	,,	.	७	७८‡
२. कार्य कर्त्ता				
डाक्टर	,,	७०२	७८५	१३३७
नर्सिंग स्टाफ @	,,	१७९१	२०६०	३५८५
मिड वाइफ्स	,,	३२२	२४०	१००२
स्वच्छता निरीक्षक	,,	९७	१११	१२६
हैल्थ विजिटर	,,	२५	३२	२०६
वैक्सीनेटर	,,	२९८	३२८	१९२
वैद्य	,,	३६२	५००	११८८
हकीम	,,	१३	२०	३३

@ सिस्टर्स, मेट्रन्स, स्टाफ नर्सों एवं कम्पाउन्डरों सहित ।

आंकड़े वर्ष १९६०-६१ के हैं।

सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं सहित ।

८.४ चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (क्रमशः)

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९६०
१	२	३	४	५
*३. शैय्याएं	संख्या	५७७७	६३२९	८१६६
*४. रोगी जिनका उपचार किया				
चिकित्सालय में भरती करके	लाख	१.०४£	१.२५£	२.०४
आउट डोर में	लाख	९६.८५	१३९.१६	२०६.०४
*५. प्रति दस लाख जन संख्या पर चिकित्सा सुविधाएं				
चिकित्सालय	संख्या	१५	१७	१७
औषधालय	"	३१	४३	७३
डाक्टर	"	४४	४६	६७
रोगी शय्याएं	"	३११	३७२	४०८
६. जल वितरण				
लाभान्वित कस्बे	"	५	५	२७
लाभान्वित जन संख्या	लाख	६.६३	६.६३	९.७२

*आयुर्वेदिक सुविधाओं सहित।

£आयुर्वेदिक सुविधाओं के अतिरिक्त।

८. समाज सेवाएं

८.५ गृह निर्माण

विवरण	इकाई	योजना काल प्रथम	योजना काल द्वितीय
१	२	३	४
१. औद्योगिक श्रमिक गृह निर्माण योजना			
(अ) कुल व्यय	लाख रु.	२.४९	६७.४९
(आ) बनाये गये गृह	संख्या	.	११२२
२. कम-आमदनी वालों के लिये गृह निर्माण योजना			
(अ) वितरित ऋण	लाख रु.	६२.८१	१७१.२९
(आ) बनाए गए गृह	संख्या	२०२	४०८१
३. माध्यमिक आमदनी वालों के लिये गृह निर्माण योजना			
(अ) वितरित ऋण	लाख रु.	+	५७.६३
(आ) बनाये गए गृह	संख्या	+	१६५
४. गंदी बस्तियों का सुधार			
(अ) वितरित ऋण	लाख रु.	+	२.७३
(आ) बनाए गए गृह	संख्या	+	१२०
५. ग्रामीण गृह योजना			
(अ) वितरित रकम	लाख रु.	+	१६.६५
(आ) लाभान्वित ग्राम	संख्या	+	३००

८.६ श्रम एवं रोजगार

(संख्या)

विवरण	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३
१. कल्याण केन्द्र	१२	२५
अ श्रेणी	—	१
ब श्रेणी	—	८
स श्रेणी	१२	८
२. राजकीय बीमा योजना		
(अ) कार्यशील केन्द्र	..	८
(ब) लाभान्वित व्यक्ति	..	१२८०००
(स) औषधालय	..	६
३. एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज	७	१८
४. लाइव रजिस्टर पर व्यक्ति	१७२३५	४०४९१
५. एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया	४२२९	११९२५
६. मजदूर संघ	१५०	३७४

८. समाज सेवाएं

८.७ समाज कल्याण एवं पिछड़ी हुई जाति कल्याण

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४
१. स्कूल	५२	१३०	१४०
२. छात्रावास	१०	२२	४४
३. छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियां	१४८७	१७५४३	१८१६०
४. परिवारों को सहायता—			
(अ) पुनर्वास के लिए	११५	१५११	९२३
(ब) सिंचाई के कुए बनाने के लिये	१६३१	२८०५	१०९७
(स) पानी पीने के कुएं बनाने के लिये	+	८२	७५६
५. गृह उद्योग केन्द्र	७	३४	८४
६. औषधालय	+	११	११
७ संस्कार केन्द्र	+	३४	९१
८. सामाजिक शिक्षा केन्द्र*	५	१९७	२३९
९. आश्रय गृह	+	+	३
१०. जिला आश्रय गृह	+	+	११
११. भिखारी गृह	+	+	२
१२. कल्याण विस्तार परियोजनायें	+	८	३३

* आंकड़े २३२ में से १५५ पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना के आधार पर हैं।

९. विविध

९.१ प्रशिक्षण एवं शिक्षा

(संख्या)

विषय	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४
१. कृषि शिक्षा			
(अ) कालेज	१	२	२
(आ) प्रशिक्षण केन्द्र (ग्राम सेवक)	+	४	५
२. पशु चिकित्सा कालेज	+	१	१
३. चिकित्सा संस्थाएं			
(अ) मैडिकल कालेज	१	१	२
(आ) आयुर्वेदिक कालेज	१	१	२
(ई) प्रशिक्षण केन्द्र	..	..	५१
४. इन्जीनियरिंग संस्थाएं			
(अ) कालेज	१	२	२
(ब) पौलीटैक्निक	+	१	६
५. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र	+	२	६
६. औद्योगिक उत्पादन-प्रशिक्षण केन्द्र	+	+	४७
७. वन प्रशिक्षण संस्थाएं	+	४	४
८. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र	+	१	३